**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**राजस्व विभाग**
**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**

**अधिसूचना सं. 29/2020-केन्द्रीय कर**

**नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2020**

सा.का.नि.........(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बाईसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त

नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की  जाएगी :

2. **प्ररूप जीसएटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय** –उक्त नियमों के **प्ररूप जीसएटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का,यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात् नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा ।

[फा.सं.CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार